न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. 02/2017

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रार्थी

बनाम

1 सुभाषचन्द्र पुत्र बनवारी लाल जाति अग्रवाल जाट सा0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
2 मुरलीधर पुत्र भानीराम जाति अग्रवाल सा0 कुलचन्द्र तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1 श्री सोहनलाल सहारण राजकीय अभिभाषक राज्य पक्ष की ओर से।
2 श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अप्रार्थीयान।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णयः–

दिनांक :–18.06.2018

भूमिधारी एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं0 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर संगरिया के न्यायालय में दिनांक 15.04.93 को प्रस्तुत किया जिसमें चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता सं0 37/35 (जमाबंदी सम्वत 2045) में 1.265 है0 तथा चक 4 आरटीपी के खाता सं0 55/52 (जमाबंदी सम्वत 2044) में 9.964 है0 इस प्रकार कुल 11.229 है0 भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब दावा मय काउंटर कलेम पेश करते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि का अप्रार्थी सं0 2 स्वयं खरीददार है। अप्रार्थी सं0 1 अपने आप को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। काउंटर कलेम के जरिये प्रश्नगत भूमि से अप्रार्थी सं0 1 को बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दुरभि संधि कर दिनांक 20.07.93 को राजीनाम प्रस्तुत किया जो तस्दीक कर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.8.93 को मुताबिक राजीनामा अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री निम्न आधारों पर रैफरेंस करने योग्य है–

1. प्रार्थी सं0 1 व 2 ने दुरभि संधि से राजीनामा पेश किया।
2. न्यायालय द्वार मुताबिक राजीनामा निर्णय व डिक्री 10.8.1993 को पारित की जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 1 को प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित कर दिया।
3. न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया का उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10.8.93 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

4. अप्रार्थी सं0 1 को वाद पत्र में राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाना चाहिए था, लेकिन अप्रार्थी सं0 2 ने जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया, न ही न्यायालय द्वारा वाद पत्र में तनकीयात कायम करके निर्णय पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया।
5. अप्रार्थी सं0 1 व 2 आपस में मामा भानजा लगते है। प्रश्नगत भूमि का वास्तविक रू बेचान हुआ है, बेचान भूमि की स्टाम्प डयूटी तथा फीस को अदा न करना पड़े, इसलिए डिक्री हासिल की।
6. इस प्रकरण में राज्य हित निहित था, जिसका विधि परीक्षण जिला कार्यालय से करवाया जाना अपेक्षित थी, परन्तु विधि परीक्षण नहीं करवाया गया।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को तलब किया गया। अप्रार्थीयान द्वारा अपना जबाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शीर्षक का रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना मात्र स्वीकार है, लेकिन यह रैफरेंस प्रार्थना पत्र कतई विधि विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है, साथ ही मियाद वर्जित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किया जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया के समक्ष राजस्व वाद सं0 135/93 शीर्षक सुभाष चन्द्र बनाम मुरलीधर आदि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया जाना इस वाद पत्र में अप्रार्थी सं0 02 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाना तथा कालान्तर में दिनांक 20.7.1993 को न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत होने व न्यायालय द्वारा दिनांक 10.8.93 को अप्रार्थी सं0 01 का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने के तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा जिन आधारों पर रैफरेंस प्रस्तुत किया है, उनका अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अस्वीाकर करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद सं0 135/93 में राज्य पक्ष का कोई हित नियत नहीं था, यह विवाद तो दो निजी व्यक्ति के अवधार्य प्रश्नों का विनिश्चय करते हुए पारित डिग्री के विरूद्ध रैफरेंस पोषणीय नहीं है। वस्तुतः प्रश्नगत भूमि के अप्रार्थी सं0 1 के विधि अनुसार खातेदारी निहित हुए है तथा इस विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी सं0 02 ने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा प्रस्तुत किया था। न्यायालय सहायक कलक्टर ने धारा 88 आरटीए एक्ट के अंतर्गत अप्रार्थी सं 01 को प्रश्नगत भूमि के प्रवर्तन से खातेदार होने की अवधारणा पारीत करते हुए निर्णय एवं डिक्री जारी की है तथा कानूनन सक्षम न्यायालय द्वारा पारीत डिक्री को रैफरेंस प्रार्थना के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से श्री लालचंद वर्मा एडवोकेट ने मैमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 01 का जवाब ही अप्रार्थी सं0 02 का ही जवाब समझा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में दर्ज आधारों को दोहराते रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी निर्णय हेतु मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गयी। बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 644, आरआरडी 1996 पेज 538 एचसी, आरबीजे 1995 पेज 682, आरआरडी 1982 पेज 39, आरआरडी 1987 पेज 532, आरआरडी 1993 पेज 378, डीएनजे 2013 पार्ट (3) (रेवन्यू) पेज 228, आरबीजे 2007 पेज 407, डीएनजे 2005 पार्ट (1) 539 (राज0), डीएनजे (राज0) पार्ट (3) पेज 1270

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रिकार्ड एवं प्रकट तथ्यों से यह निर्विवाद है कि प्रश्नगत आराजी निजी खातेदारी भूमि है। भूमिधारी द्वारा यह कतई स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रकरण में राज्य हित किस प्रकार से निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर वर्ष 1993 में डिक्री जारी की गई है। वादग्रस्त भूमि में वादी को पूर्ण खातेदारी हक प्राप्त थे, जो कि स्थानांतरणीय

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्य प्रतिलिपि
प्रति जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

थे। वादी–प्रतिवादी समान श्रेणी के खातेदार थे। इस प्रकार प्रथम दृष्टा काश्तकारी अधिनियम के किसी भी आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना नहीं हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पृष्ठ 644 तथा आरआरडी 1996 पृष्ठ 538 में भी मुख्यतः समान प्रश्न अन्तवर्लित था। उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत में यह आध्यासित किया गया है कि प्रकरण में राज्य हित नीहित नहीं होने से प्रकरण रैफरेंस योग्य नही थे।

यह यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात अर्थात अन्तिम बहस सुने जाने के पश्चात एक अन्य पक्षकार किशनलाल द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रकरण की विषयवस्तु में उसके हित निहित है। तथा उसका इस बाबत एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लम्बित है। प्रथम दृष्टा यदि प्रकरण की विषय वस्तु में आवेदक का कोई हित है भी तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चत किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में विचारणी प्रश्न नितांत भिन्न है जिसके निर्णय हेतु आवेदक को पक्षकार बनाया जाना कतई आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण की विषय वस्तु कृषि भूमि में कोई राज्य हित–निहित होना नहीं पाया जाता है तथा भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई रैफरेंस योग्य सारभूत तथ्य अथवा युक्तिसंगत आधार नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। है। निर्णय की प्रति राज्य पक्ष तहसीलदार संगरिया को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्य प्रतिलिपि

पति जिला कलेक्टर
हनुमानगढ